न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम सं 10, जयपुर महानगर

पीठासीन अधिकारी – भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य,
आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध अपील सं 54/2017

जयपुर नगर निगम, दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी छगनलाल यादव, राजस्व अधिकारी, विद्याधर नगर जोन, जयपुर नगर निगम, जयपुर

———अपीलार्थी/प्रार्थी

बनाम

मैसर्स होटल हयात रबानी, 467, कान्ति नगर, पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने, स्टेशन रोड, जयपुर (पंजीकृत भागीदारी फर्म) जरिये भागीदार नईमुद्दीन पुत्र सराजुद्दीन, आयु 39 वर्ष, जाति–मुसलमान, निवासी– 4095, दर्जियों का रास्ता, सूरजपोल बाजार, जयपुर

———प्रत्यर्थी/अप्रार्थी

दीवानी विविध अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2017 न्यायालय अति0 सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि0 क्रम–4, जयपुर महानगर, पीठासीन अधिकारी श्री अमरजीत सिंह, आरजेएस, विविध दीवानी प्रा.पत्र सं. 613/2017 शीर्षक मैसर्स होटल हयात रबानी बनाम नगर निगम

प्रतिनिधित्वः–

1. श्री कुलदीप गौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री राजकमल गौड एवं फारुक अहमद, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

::निर्णय:: **दिनांक 23.05.2017**

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं0 613/2017 उनवानी मैसर्स होटल हयात रबानी बनाम नगर निगम जयपुर के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आक्षेपित आदेश दिनॉक 29.04.2017 के माध्यम से स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अप्रार्थी ने यह अपील माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मैसर्स होटल हयात रबानी भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस जयपुर के यहॉ पंजीकृत भागीदारी फर्म है तथा पिछले पॉच वर्षो से 47, कान्ति

नगर, पोलोविक्ट्री सिनेमा के सामने, स्टेशन रोड, जयपुर पर होटल हयात रबानी का संचालन कर रहा है। प्रार्थी के उक्त होटल में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, होटल की किचन में सिर्फ होटल के स्टाफ के लिये खाना बनता है, होटल परिसर का यूडी टैक्स मार्च, 2017 का जमा किया जा चुका है तथा उक्त होटल के पास फूड लाईसेंस उपलब्ध है तथा उसने ग्रीन लाईन सर्विस की सेवायें भी ली हुई हैं। उक्त होटल में शुद्व पेयजल के लिये आर0ओ0 लगाया हुआ है तथा होटल लाईसेंस के लिये भी आवेदन किया हुआ है। दिनॉक 19.03.2017 को सांय 06 बजे प्रार्थी के उक्त होटल का सफाई कर्मचारी होटल का कचरा व अपशिष्ट पदार्थ कचरा पात्र में डालकर होटल के निकट ही नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित कचरा संग्रह स्थल डिपो पर फेंकने गया, तो उसी समय साध्वी कमला दीदी अपने समर्थकों के साथ आ गई व होटल के कचरा व अपशिष्ट पदार्थ को देखकर होटल में गौ मॉस परोसने का मनगढंत आरोप लगाते हुये सफाईकर्मी कासिम की पिटाई करने लगे, उन्होंने होटल का घेराव कर लिया तथा स्वागत कक्ष के कर्मचारी से मारपीट करने लगे तथा होटल को सील करने की मॉग करने लगे, तभी स्थानीय पार्षद ने वहॉ आकर अप्रार्थी नगर निगम के अधिकारियों को बुला लिया, जिन्होंने उक्त साध्वी व उसके समर्थकों तथा स्थानीय पार्षद के दबाव में होटल की किचन को सील कर दिया तथा उसके बाद होटल के 20 कमरों में रूके हुये पर्यटकों एवं यात्रियों को जबरन चैक आउट करवाकर होटल पर तालाबन्दी कर पूरे होटल को गैर कानूनी तरीके से सील कर दिया, जिस सम्बन्ध में प्रार्थी फर्म के भागीदार नईमुद्दीन द्वारा पुलिस थाना सिंधी कैम्प जयपुर में अभियोग सं0 46/17 दर्ज कराया, जिसके बचाव में साध्वी कमला दीदी ने भी प्रार्थी के होटल के कर्मचारियों के विरूद्व मिथ्या अभियोग सं0 45/17 दर्ज कराया। अप्रार्थी निगम के अधिकारियों द्व ारा साध्वी व उसके समर्थकों तथा पार्षद के दबाव में होटल को इस प्रकार सील किया जाना अवैधानिक है, प्रार्थी को इस सम्बन्ध में न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। प्रार्थी फर्म द्वारा अधिकारियों एवं महापौर को होटल की सील खुलवाने बाबत निवेदन किया, परन्तु होटल की सील नहीं खोली गई। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम आज्ञापक व्यादेश पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के होटल की सील अविलम्ब खोल देवें तथा मूल वाद के निर्णय तक उक्त होटल के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें।

अपीलार्थी/अप्रार्थी नगर निगम की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत

कर कथन किया गया कि प्रार्थी के पास फूड लाईसेंस नहीं है, न ही ग्रीन लाइन सर्विस ली हुई है। दिनॉक 19.03.2017 को रात्रि के समय महापौर के निर्देशानुसार प्रार्थी की होटल पर पहुँचने के श्री दिनेश कुमार गोयल को निर्देश मिले, मौके पर अप्रार्थी के प्रतिनिधि पहुँचे तो मौके पर वार्ड नं0–25 की पार्षद व भारी भीड व कार्यकर्ता होटल के विरूद्व आक्रोशित थे तथा होटल बन्द कराने की नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर अप्रार्थी के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राजेन्द्र कुमार गर्ग के साथ दिनेश कुमार गोयल ने होटल का निरीक्षण किया, तो मैंनेजर के पास लाईसेंस नहीं पाया गया, होटल संचालकों द्वारा होटल, रेस्टोरेंट चलाने की उप विधियों का पालन नहीं किया जा रहा था, किचिन में गंदगी व खाद्य अपशिष्ट निस्तारण के लिये अप्रार्थी की ग्रीन लाइन सर्विस से भी जुडा नहीं पाया गया। अप्रार्थी के अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के होटल को किसी के दबाव में सीज नहीं किया गया, बल्कि होटल बिना लाईसेंस चलाने, गंदगी फैलाने, नगर निगम द्वारा खाद्य़ अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ग्रीन लाइन से जुडे न होने के कारण होटल को सीज किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आक्षेपित आदेश दिनॉक 29.04.2017 द्वारा प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अप्रार्थी ने यह दीवानी विविध अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में उल्लेखित आधारों को बहस में दोहराते हुये तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में चाहा गया आज्ञापक निषेधाज्ञा का सम्पूर्ण अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रदान कर गंभीर त्रुटि कारित की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन किया गया कि प्रार्थी फर्म पिछले पॉच वर्षो से होटल संचालित कर रही हैं, उनके पास होटल का फूड लाईसेंस उपलब्ध है तथा उसने ग्रीन लाईन सर्विस की सेवायें भी ली हुई हैं, उसने होटल लाईसेंस के लिये आवेदन किया हुआ है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्रीन लाईन की सेवायें दिनॉक 22.03.2017 को प्राप्त की है, फूड लाईसेंस के लिये दिनॉक 24.03.2017 को मात्र आवेदन किया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त होटल दिनॉक 19.03.2017 की रात्रि को ही सीज कर दिया गया था। इस प्रकार स्वीकृत रूप से दिनॉक 19.03.2017 तक प्रार्थी के पास ग्रीन लाईन की सेवायें एवं फूड लाईसेंस नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सही तरीके से अवलोकन किये बिना आदेशात्मक

आज्ञा प्रदान की है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के होटल का संचालन किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार होटल संचालन से पूर्व निगम से अनुज्ञप्ति लिया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर भी त्रुटि कारित की है कि प्रार्थी द्वारा लाईसेंस हेतु कुछ समय पूर्व आवेदन किया गया है और निगम द्वारा आज दिनॉक तक उसके आवेदन का किसी तरह से निस्तारण नहीं किया गया है एवं आस पास के अन्य होटल भी बिना लाईसेंस ही संचालित हो रहे हैं, तो केवल प्रार्थी के ही होटल को इस आधार पर सीज करना प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद–14 का उल्लंघन है तथा निगम का कृत्य मनमाना है, जबकि प्रार्थी द्वारा अन्य होटलों के बिना लाईसेंस संचालित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र कयास के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। दिनॉक 19.03.2017 को रात्रि 10 बजे अपीलार्थी निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्व ारा संयुक्त टीम के साथ होटल का मौका निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया, पंचनामा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि मौके पर रेस्टोरेंट व रसोई घर में अत्यधिक गंदगी पाई गई,जिससे यहॉ बनाये गये खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। पंचनामा में यह भी उल्लेखित किया है कि होटल बिना लाईसेंस चलाने, गंदगी फैलाने व नगर निगम द्वारा खाद्य अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ग्रीन लाईन सर्विस से नहीं जुडे होने व गंदगी में खाना बनाकर खिलाने के कारण मौके पर सीज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पंचनामे पर समुचित विचार किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। दिनॉक 31.01.2017 के स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार भी आवासीय भवनों में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिये कोई नया लाईसेंस नहीं दिया जा सकता है तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये बन्द कराने का प्रावधान है। उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर प्रदान किया है, जो किसी प्रकार से उचित नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टॉत प्रस्तुत कियेः–

1. 20009 (4) डब्लू0एल0सी0 (राज0) पेज–166

कुन्दनमल बनाम जिला कलैक्टर, पाली एवं अन्य

2. 2016 (1) डब्लू0एल0सी0 (राज0) पेज–199

रवि नारचल बनाम स्टेट ऑफ राज0 एवं अन्य

3. सिविल रिट पिटीशन नं0 4677/1985

एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्को का विरोध करते हुये बताया कि निगम द्वारा प्रार्थी के होटल को सीज करने की कार्यवाही पूर्ण रूप से अवैध है। निगम के अधिकारी/कर्मचारियों ने नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को दरकिनार करते हुये केवल मात्र दबाव में प्रार्थी के होटल को सीज किया है। सीज की कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों का उल्लंघन किया गया है, उसी के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का मजबूत प्रथम दृष्टया मामला मानते हुये आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष प्रदान किया गया है। विधि में ऐसी कोई रूकावट नहीं है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हो, आदेशात्मक आज्ञा का अनुतोष जारी किये जाने की शक्तियॉ न्यायालय को प्राप्त हैं और न्यायालय ने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशात्मक आज्ञा से प्रार्थी के होटल को सीजमुक्त किये जाने का आदेश दिया है, जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि नगर निगम द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही हठधर्मिता से की गई है, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना अभी तक नगर निगम द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसको आधार बनाकर आदेश में हस्ताक्षेप किया जा सके। अप्रार्थी ने केवल मात्र प्रार्थी को परेशान करने के लिये हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पुष्ट किया जावे।

सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्ष का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रार्थी के होटल को दिनॉक 19.03.2017 को रात्रि 10 बजे अप्रार्थी निगम के अधिकारी/कर्मचारियों ने नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए होटल के 20 कमरों में रूके पर्यटकों एवं यात्रियों को जबरन चैक–आउट करवाकर होटल पर तालाबन्दी करते हुये होटल को गैर कानूनी तरीके से सील कर दिया। इसके सम्बन्ध में निगम की यह प्रतिरक्षा रही है कि उक्त होटल को महापौर के निर्देशानुसार

सील किया गया है। वक्त निरीक्षण होटल मैंनेजर के पास होटल संचालन का लाईसेंस नहीं था तथा उसके द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट चलाने की उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा था, किचन में गंदगी तथा खाद्य अपशिष्ट निस्तारण के लिये अप्रार्थी की ग्रीन लाईन सर्विस से भी जुडा नहीं पाया गया। नगर निगम अधिनियम, 2009 की धारा–292 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगर पालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के लिये इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या उप विधि के किसी भी प्रयोजन के लिये किसी भी भवन या भूमि में और उस पर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे सहायकों सहित, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी ऐसे भवन या भूमि में जो उस समय अधिभोगाधीन हो, उसके अधिभोगी की अनुमति के सिवाय तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा, जब तक इसका 24 घंटे का लिखित नोटिस उक्त अधिभोगी को न दिया जावे। नगर निगम के अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारी को धारा–292 के प्रावधानों के अनुसार सूर्योदय के पश्चात् व सूर्यास्त से पहले की अवधि के मध्य ही किसी परिसर में प्रवेश करने का अधिकार है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में सूर्यास्त के पश्चात् रात्रि 10 बजे होटल में प्रवेश कर होटल को सीज करने की कार्यवाही की गई है, जो स्पष्ट रूप से अधिनियम, 2009 की धारा–292 के विपरीत है। प्रार्थी की होटल सीज किये जाने से पूर्व निगम द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया हो या किसी प्रकार का नोटिस दिया गया हो, ऐसी भी प्रतिरक्षा निगम की नहीं है, ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी निगम द्वारा की गई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना में की गई है और जहॉ कोई कृत्य नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना में होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है, वहॉ अनुतोष प्रदान करने के लिये मूल वाद के निस्तारण तक किसी पक्षकार को इन्तजार कराया जाना विधिसम्मत नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का अपील में यह आधार रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद में चाहा गया अनुतोष आज्ञापक आज्ञा के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर ही प्रदान कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय अपीलार्थी के उक्त तर्क से सहमत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टॉत RLR 1984 PAGE 883 Gulam Abbas & Ors. V/s Iqbal & Ors. के प्रकरण में आज्ञापक निषेधाज्ञा अस्थाई निषेधज्ञा के प्रक्रम पर जारी करने के संबंध मे ंनिम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

66. I have given my serious and anxious consideration to the submissions of Mr

Venu Gopal and a thoughtful consideration to the case law relied upon by him. It cannot be said that law propounded in these cases is inflexible, rigid and knows no exception. Chakravartti, C. J. (in Calcutta case relied on in Ramchandra Tanwar's case (supra) himself has stated that in an exceptional case in which the rule propounded may not be adhered to and he was also careful in making an observation that he does not wish to say that in no circumstance will the court have any jurisdiction to issue an ad-interim injunction of a mandatory character pending the disposal of an application for an injunction. These observations go to point out that the questions of grant of interim relief in the from of mandatory injunction of preventive injunction depends on the circumstances of each case. Take for example in an action for restoration of amenity like water, light or any other amenity discontinued by the landlord, if the tenant moves an application for immediate restoration of amenity. I think it is the bounden duty of the court to restore the discontinued amenity and grant interim relief to the tenant. Suppose in a suit for permanent injunction for demolition of the obstruction placed, whereby the passage is blocked, so as to render the property inaccessible the grant of interim relief by way of demolition of obstruction would be essential. In a situation like this, where two separate owners of the property are living in a big building having two Chowks and access to the property in the inner Chowks is obstructed and there may be no other passage to have access to the property in the inner Chowk, the court cannot refuse to grant interim relief. So may be the cases where obstruction had been placed affecting the right of irrigation, as the standing crop may be destroyed. **Thus, it would appear that the matter of grant of interim relief would depend on other nature of the right, that nature of the wrong done the exigencies of the given case requiring the immediate redressal of the grievance made of undoing of the wrong and the rule propounded cannot be made applicable with rigidity. Courts primarily exist for imparting justice if a strong prima facie case is made out necessitating grant of interim relief it should not be refrain from granting the interim relief to the party, if it is legitimately entitled to the same.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक दृष्टॉत में स्पष्ट रूप से यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहॉ प्रार्थी के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला हो, वहॉ उसके पक्ष में आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रार्थी का मामला स्पष्ट रूप से दुर्लभतम से दुर्लभ मामले की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशात्मक आज्ञा जारी कर किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलार्थी निगम के अधिकारी/कर्मचारियों ने कानून अपने हाथ में लेकर विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों से परे जाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुये प्रार्थी के होटल को सीज किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने

आदेशात्मक आज्ञा से होटल को सीजमुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टॉत 20009 (4) डब्लू0एल0सी0 (राज0) पेज–166 कुन्दनमल बनाम जिला कलैक्टर, पाली एवं अन्य, 2016 (1) डब्लू0एल0सी0 (राज0) पेज–199 रवि नारचल बनाम स्टेट ऑफ राज0 एवं अन्य तथा सिविल रिट पिटीशन नं0 4677/1985 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित कोई तथ्य नहीं है। कोई भी न्यायिक दृष्टॉत न्यायालय पर तभी प्रीसीडेंट हो सकता है, जब प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टॉतों के तथ्य लगभग समान हों। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी निगम द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पूर्ण अवहेलना की गई एवं अवैधानिक रूप से सीज करने की कार्यवाही गई है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टॉत सीज कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं हैं, न ही इन न्यायिक दृष्टॉतों में ऐसा कोई सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि निगम नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत धारा–292 में विहित समयावधि का उल्लंघन करते हुये एवं बिना सूचनापत्र दिये ही किसी होटल या भवन को सीज कर सके, इसलिये उक्त न्यायिक दृष्टॉतों से अपीलार्थी को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अपीलार्थी नगर निगम की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 29.04.2017 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब प्रतिप्रेषित किया जाए।

(भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–10, जयपुर महानगर

आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य)
अपर जिला न्यायाधीश,
क्रम–10, जयपुर महानगर